संख्या–915/तीस–3–10–27बी/08

प्रेषक,

शिवानन्द ओझा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग–3

लखनऊः दिनांकः 11, जून, 2010

विषयः–उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, ललितपुर के भवन निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या–जी–50ए/2010 दिनांक 4–2–2010 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, ललितपुर के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, ललितपुर के अनावासीय भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–978/तीस–3–2009–27बी/08 दिनांक 4 अगस्त, 2009 द्वारा प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित लागत धनराशि रू0–116.65 लाख (रू0 एक करोड़ सोलह लाख पैसठ हजार मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में इस प्रयोजन हेतु धनराशि रू0–33.03 लाख (रू0 तैतीस लाख तीन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0–83.62 लाख (रूपये तिरासी लाख बासठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0 आदि खाते में जमा नही की जायेगी।

3– उक्त निर्माण कार्य तब तक न प्रारम्भ किया जाय जब तक उपरोक्त भवन हेतु शासनादेश संख्या–303/दस–06–89/04 दिनांक 2–3–2006 के प्राविधानानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक (तकनीकी) स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय। भवन का निर्माण समयबद्धता से पूर्ण कराया जाय, साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। संबंधित संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी समय–समय पर कार्य का निरीक्षण करते रहेंगे व सामान्य पर्यवेक्षण करते हुए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करायेंगे।

4– प्रस्तावित मार्गो की मात्रा/लम्बाई यथावत रहेगी। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था पर होगा।

5– स्वीकृति की जा रही धनराशि के मासिक व्यय विवरण प्रपत्र–बी0एम–13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–9 एवं परिवहन अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1176/10–2002–238/2002 दिनांक 13–9–2002 तथा अर्द्धशा0पत्र संख्या–बी–1– 3032/1033–2002 दिनांक 28–8–2002 में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर इस सम्बन्ध में दिये गये अन्य निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6– भवन में विकलांगजन की सुविधा हेतु बैरियर फ्री आवागमन की व्यवस्था की जायेगी। विशेष रूप से भवन में प्रवेश आदि हेतु रैम्प व रेलिंग की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जायेगी।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–43 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–01–कार्यालय भवन–051–निर्माण–03–संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय का निर्माण–24–बृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

9– उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्राप्त कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग की अ0शा0संख्या–यू0ओ0–ई–9–416/दस/09 दिनांक 28 जुलाई–2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिवानन्द ओझा,)
विशेष सचिव।

संख्या–915(1)/तीस–3–10 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4– वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय लखनऊ।
5– जिलाधिकारी ललितपुर।
6– सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ललितपुर। ।
7– संबंधित कार्यदायी संस्था (द्वारा परिवहन आयुक्त)
8– नियोजन अनुभाग–4
9– वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–9
10– निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, लखनऊ।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(कुलदीप एन0 अवस्थी)
उप सचिव।